

## भारत और हाई सी ट्रीटी

### प्रलम्बिस् के लयिः

हाई सी ट्रीटी, सामुद्रकि कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभसिमय, वशिष आर्थकि कषेत्र, सतत् वकिस लकष्य, महासागर अमलीकरण, बलु इकॉनमी, मशिन LiFE, जैवविधिता पर अभसिमय

### मेन्स के लयिः

हाई सी ट्रीटी, भारत के लयि महत्व, अंतरराष्टरीय समुद्री कानून और महासागर अभशासन, पर्यावरण संरक्षण में अंतरराष्टरीय संधयिँ

[स्रोतः द हद्रि](#)

## चर्चा में क्योँ?

भारत ने सतिंबर 2024 में [हाई सी ट्रीटी](#) पर हस्ताक्षर कयि, जसि औपचारकि रूप से राष्टरीय कषेत्राधिकार से परे जैवविधिता (BBNJ) समझौते के रूप में जाना जाता है, जो [अंतरराष्टरीय महासागर अभशासन](#) में एक प्रमुख मील का पत्थर है।


हालाँकि, कार्यान्वयन और भू-राजनीतिक चुनौतयिँ इसकी प्रभावशीलता के बारे में चतिाएँ पैदा करती हैं।

## हाई सी ट्रीटी क्या है?

- परचियः [सामुद्रकि कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभसिमय \(UNCLOS\)](#) के ढाँचे के तहत वकिसति BBNJ समझौता [राष्टरीय अधिकार कषेत्र](#) से परे कषेत्रों में समुद्री जैवविधिता के संरक्षण और स्थायी उपयोग पर केंद्रति है, जो [वशिष आर्थकि कषेत्रों \(EEZ\)](#) के 200 समुद्री मील (370 कमी) से परे हैं।
  - BBNJ समझौता लागू होने के बाद [UNCLOS](#) के तहत तीसरा कार्यान्वयन समझौता बन जाएगा, जो नमिनलखिति का पूरक है:
    - 1994 भाग XI कार्यान्वयन समझौता (अंतरराष्टरीय समुद्र तल में खनजि संसाधन अन्वेषण पर केंद्रति)।
    - 1995 संयुक्त राष्ट्र मत्स्य स्टॉक समझौता (स्ट्रेडलिंग और प्रवासी मछली भंडार के संरक्षण और प्रबंधन पर केंद्रति)।
  - यह समझौता [सतत् वकिस लकष्यों \(SDG\)](#), वशिष रूप से [SDG 14 \(जल के नीचे जीवन\)](#) को प्राप्त करने में योगदान देता है।
- आवश्यकताः समुद्र की सतह का 64% और पृथ्वी के कषेत्रफल का 43% हसिा समुद्र में फैला हुआ है। वे लगभग 2.2 मिलियन समुद्री प्रजातयिँ और एक टरलियन [सुकषमजीवों](#) का आवास हैं।
- ये कषेत्र कसिी भी राष्ट्र के स्वामतिव में नहीं हैं, जसिसे नौवहन, आर्थकि गतविधियिँ और वैज्ञानकि अनुसंधान के लयि समान अधिकार प्राप्त हैं।
  - वर्ष 2021 में, अनुमानतः [17 मिलियन टन प्लास्टिक](#) समुद्रों में फेंका गया, और यह संख्या बढ़ने की उम्मीद है। जवाबदेही की कमी से अतदिहन, जैवविधिता की हानि, प्रदूषण और महासागरों का अमलीकरण होता है।
  - यह संधि संसाधनों के सतत् उपयोग को सुनिश्चति करने, जैवविधिता की रक्षा करने तथा प्रदूषण फैलाने वालों को जवाबदेह बनाने के लयि महत्त्वपूर्ण है।
- संधिके उद्देश्यः
  - [समुद्री संरक्षति कषेत्र \(MPA\)](#): उन कषेत्रों की स्थापना और वनियमन पर ध्यान केंद्रति करता है जहाँ जैवविधिता सहति समुद्री प्रणालयिँ मानवीय गतविधियिँ या जलवायु परिवर्तन के कारण तनाव में हैं, जैसे [भूर्मा पर राष्टरीय उद्यान](#) या [वनयजीव रजिस्व](#)।
    - इन कषेत्रों का उद्देश्य समुद्री जैवविधिता और पारसिथतिकि तंत्र का संरक्षण करना है।
  - [समुद्री आनुवंशकि संसाधन](#): औषधा विकास सहति [समुद्री आनुवंशकि संसाधनों](#) के उपयोग से उत्पन्न लाभों का न्यायसंगत बंटवारा सुनिश्चति करना तथा इन संसाधनों से उत्पन्न [ज्ञान](#) तक खुली पहुँच को बढ़ावा देना।
  - [पर्यावरणीय प्रभाव आकलन \(EIA\)](#): [समुद्री पारसिथतिकि तंत्रों](#) के लयि संभावति रूप से हानिकारक गतविधियिँ के लयि पूरव [EIA](#) को अनविरय बनाना, जसिमें राष्टरीय अधिकार कषेत्र के भीतर की गतविधियिँ भी शामिल हैं जो हाई सी को प्रभावति कर सकती हैं, तथा आकलन का सार्वजनकि प्रकटीकरण करना।
  - [कषमता नरिमाण और प्रौद्योगिकि हस्तांतरण](#): संरक्षण प्रयासों में [छोटे द्वीप राजयों](#) और स्थलबद्ध राष्ट्रों को समर्थन देने और

कक्षमता नरिमाण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के माध्यम से उन्हें धारणीय समुद्री संसाधन उपयोग से लाभान्वति करने में सक्षम बनाने पर ध्यान केंद्रति कतिया जाता है ।

- हस्ताक्षर और अनुसमर्थन: कम-से-कम 60 देशों द्वारा अपने औपचारकि अनुसमर्थन दस्तावेज़ प्रस्तुत करने के 120 दनि बाद यह संधि अंतर्राष्टरीय कानून बन जाएगी । हाई सीज़ एलायंस के अनुसार, नवंबर 2024 तक 105 देशों द्वारा संधि पर हस्ताक्षर कतिये गए हैं, लेकनि उनमें से केवल 15 ने ही इसे अनुसमर्थति और प्रस्तुत कतिया है ।



**नोट:** अनुसमर्थन (रटफिकेशन) वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई देश कानूनी रूप से कसिी अंतर्राष्टरीय कानून के प्रति प्रतिबिद्धता प्रदर्शति करता है, जो हस्ताक्षर करने से भनि है ।

- हस्ताक्षर करने से यह संकेत मलतिता है ककि कोई देश संबंधति अंतर्राष्टरीय कानून के प्रावधानों से सहमत है, और उसका पालन करने के लतिये तैयार है । जब तक इसकी पुष्टि नहीं हो जाती, तब तक कोई देश कानून का पालन करने के लतिये कानूनी रूप से बाध्य नहीं होता है ।

# UN हाई सी ट्रीटी

"BBNJ संधि" जिसे "ट्रीटी ऑफ द हाई सी" के रूप में भी जाना जाता है,

UNCLOS के ढाँचे के तहत राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्रों की समुद्री जैवविविधता के संरक्षण और सतत उपयोग पर एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। पहली बार, संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों ने उच्च समुद्रों में जैव विविधता की रक्षा के लिये एक एकीकृत ( कानूनी रूप से बाध्यकारी ) संधि पर सहमति व्यक्त की है

हाई सी  
(High  
Seas-HS)

संपूर्ण पृथ्वी के सभी खारे जल के वे निकाय जो किसी राज्य के क्षेत्रीय समुद्र/आंतरिक जल का हिस्सा नहीं हैं

संधि  
की  
पृष्ठभूमि

हाई सी में समुद्री जीवन की रक्षा के लिये एक अद्यतन ढाँचे की मांग, लगभग 20 साल पुरानी है

HS की  
सुरक्षा  
की  
आवश्यकता  
क्यों

- वर्तमान में केवल 1.2% HSs संरक्षित हैं
- विलुप्त होने के जोखिम में वैश्विक समुद्री प्रजातियों का 10%
- वाणिज्यिक मछली पकड़ने, खनन, अम्लीकरण, प्रदूषण के कारण खतरे में वृद्धि

महासागर संरक्षण पर अंतिम अंतर्राष्ट्रीय समझौता 1982 में हस्ताक्षरित था

यह संधि UNCLOS के तहत तीसरा "कार्यान्वयन समझौता" है

प्रमुख बिंदु

- महासागरीय जीवन के संरक्षण का प्रबंधन करने और हाई सी में समुद्री संरक्षित क्षेत्रों को स्थापित करने के लिये एक नई संस्था का निर्माण
- महासागरों में वाणिज्यिक गतिविधियों के लिये EIAs के संचालन हेतु ज़मीनी नियमों का निर्माण

प्रमुख देश

यूरोपीय संघ, यूएस, यूके और चीन ( समझौते की ब्रोकरिंग में )

महत्त्व

- UN CBD COP15 पर 30x30 लक्ष्य सट प्राप्त करना
- महासागर के 1/3 (+ तटीय समुदायों की आजीविका) का कानूनी संरक्षण
- पृथ्वी की सतह पर >40% लुप्तप्राय प्रजातियों/आवासों की व्यापक सुरक्षा

रोडब्लॉक

विकसित/विकासशील राष्ट्रों के बीच समुद्री आनुवंशिक संसाधन (MGR) और अंतिम लाभ कैसे साझा करें



महासागरीय पारिस्थितिक तंत्र हमारे सांस लेने हेतु आवश्यक लगभग आधी ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, ग्रह के 95% बायोस्फीयर का प्रतिनिधित्व करते हैं और CO<sub>2</sub> ( दुनिया के सबसे बड़े कार्बन सिंक ) को अवशोषित करते हैं

भारत के लिये हाई सी ट्रीटी का क्या महत्त्व है?

- ब्लू इकॉनमी से आर्थिक लाभ: भारत की **ब्लू इकॉनमी** उसके सकल घरेलू उत्पाद में 4% का योगदान प्रदान करती है, जिसमें इको-पर्यटन, मत्स्य पालन और जलीय कृषि (वैशेष रूप से केरल जैसे तटीय क्षेत्रों में) में लाखों रोजगारों का सृजन शामिल है।
  - चूँकि अधिकांश बड़े अपने अनन्य आर्थिक क्षेत्रों (EEZs) में ही कार्य करते हैं, इसलिये अफ्रीका और भारत जैसे देशों को अंतर्राष्ट्रीय

जलक्षेत्र में वदिशी बेड़े द्वारा शोषण का खतरा बना रहता है।

• यह संधि इन क्षेत्रों में **मत्स्य ग्रहण को वनियमिति** करने में मदद कर सकती है, ताकिसतत् उपयोग सुनिश्चिति हो सके।

- प्रधानमंत्री **मत्स्य संपदा योजना (PMMSY)** का उद्देश्य मत्स्य पालन क्षेत्र को बढ़ावा देना है। **हाई सी ट्रीटी** पर हस्ताक्षर करने से मत्स्य पालन के संरक्षण और **स्थायी समुद्री उद्योगों से राजस्व प्राप्ति** में मदद मिलेगी।
- **जलवायु परिवर्तन पर ध्यान देना:** संधि में **समुद्री पारस्थितिकी तंत्र पर कारबन सिकि** के रूप में ध्यान केंद्रित करना जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिये महत्त्वपूर्ण है।
- भारत के लिये, स्वस्थ समुद्री पारस्थितिकी तंत्र तटीय क्षरण, चरम मौसम और बढ़ते समुद्री स्तर के वरिद्ध परतरीधक के रूप में कार्य करता है।
- यह संधि प्रकृत आधारित समाधानों (NBS) को बढ़ावा देती है, जैसे समुद्री परदृश्य की बहाली और MPA, जो प्रवाल भित्तियों की सुरक्षा के लिये महत्त्वपूर्ण हैं, जो ग्लोबल वारमिंग के कारण ढहने के खतरे में हैं।
- प्रवाल भित्तियों के संरक्षण हेतु, जो वैश्विक तापमान वृद्धि के परिणामस्वरूप खतरे में हैं, यह समझौता प्रकृत-आधारित समाधानों (NBS) जैसे MPA और समुद्री परदृश्य बहाली को प्रोत्साहित करता है।
- इस संधि के लिये भारत का समर्थन प्रवाल भित्तियों की गरिबट को रोकने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
- सतत् विकास लक्ष्यों और वैश्विक परतबिद्धताओं के साथ संरेखण: हाई सी ट्रीटी के अनुसमर्थन से भारत **सतत् विकास लक्ष्यों 13** (जलवायु कार्रवाई) और 14 के साथ संरेखित हो जाएगा, **पेरिस समझौते, 2015** के तहत अपने **राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC)** को सुदृढ़ करेगा तथा मशिन LIFE (पर्यावरण के लिये जीवन शैली) और **सागर (SAGAR) पहल** का समर्थन करेगा।
- यह भारत को सतत् विकास और समुद्री जैव विविधता संरक्षण में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करेगा।

## हाई सी ट्रीटी के समक्ष क्या चुनौतियाँ हैं?

- **अनुसमर्थन का अभाव:** हाई सी ट्रीटी को महत्त्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें अनुसमर्थन की धीमी प्रक्रिया भी शामिल है, भू-राजनीतिक चिंताओं के कारण 105 हस्ताक्षरकर्ताओं में से केवल 15 ने ही इसे मंजूरी दी है।
  - **दक्षिण चीन सागर** जैसे समुद्री क्षेत्रों पर विवाद **MPA** के निर्माण में बाधा डालते हैं।
  - दक्षिण-पूर्व एशिया और **बंगाल की खाड़ी** से सटे देशों को डर है कि **MPA संप्रभुता और राष्ट्रीय आर्थिक हितों को कमज़ोर कर सकता है, जिससे संरक्षण एवं राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के बीच संतुलन** जटिल हो सकता है।
- **समुद्री आनुवंशिक संसाधन:** समुद्री आनुवंशिक संसाधनों से लाभ साझा करने के संधि के प्रावधान जवाबदेही संबंधी चिंताएँ उत्पन्न करते हैं, जिसमें यह जोखिम है कि **धनी राष्ट्र लाभ पर एकाधिकार कर सकते हैं, जिससे कम विकसित देश हाशिये पर चले जाएंगे तथा मौजूदा असमानताएँ और बढ़ जाएंगी।**
- **मौजूदा ढाँचे के साथ अतवियापन (ओवरलैप):** समुद्री आनुवंशिक संसाधनों, **क्षेत्र-आधारित प्रबंधन विधियों** और EIA के संबंध में समान प्रावधानों के कारण, हाई सी ट्रीटी और जैव विविधता पर अभिसमय (CBD) के मध्य मतभेद उत्पन्न हो सकता है।
  - मौजूदा ढाँचे के साथ अतवियापन से **महासागरीय प्रशासन प्रभावित हो सकता है, प्रवर्तन जटिल हो सकता है तथा छोटे देशों के लिये अंतरराष्ट्रीय मानदंडों का अनुपालन बाधित हो सकता है।**
- **कार्यान्वयन में स्पष्टता का अभाव:** संधि में व्यापक उद्देश्य निर्धारित किये गए हैं, लेकिन कार्यान्वयन संबंधी स्पष्ट दिशा-निर्देशों का अभाव है, जिसके कारण इसका अनुप्रयोग असंगत है।
  - यद्यपि पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) अनिवार्य है, लेकिन संधि में पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) के संचालन और कार्यान्वयन के लिये निर्दिष्ट प्रक्रियाओं का अभाव है, जिससे इसकी प्रभावशीलता, विशेष रूप से सीमित क्षमता वाले क्षेत्रों में सीमित हो सकती है।
  - इसमें **तेल और गैस अन्वेषण** जैसी गतिविधियों से हो रही पर्यावरणीय क्षति की भी उपेक्षा की जाती है और यह समुद्री पारस्थितिकी प्रणालियों की अंतरसंबंधता (विशेष रूप से **EEZ गतिविधियों**- जैसे कि मत्स्यन और प्रदूषण के कारण **गहन समुद्री पारस्थितिकी प्रणालियों पर पड़ने वाले प्रभाव को संबोधित** करने में विफल है।
- **क्षमता निर्माण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण:** इस संधि में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिये प्रवर्तनीय तंत्र का अभाव है जिससे निम्न एवं मध्यम आय वाले देश इसके लाभों से वंचित रह सकते हैं तथा इससे असमानताएँ बनी रह सकती हैं।
  - इसके अतिरिक्त **कई क्षेत्रों में** इस संधि के प्रावधानों की नगिरानी करने एवं उन्हें लागू करने के लिये मज़बूत संस्थाओं का अभाव बना हुआ है। इसके साथ ही **घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय कानूनी मानकों के टकराव से** इसकी प्रभावशीलता और कम हो जाती है।


## हाई सी ट्रीटी के कार्यान्वयन अंतराल को किस प्रकार दूर किया जा सकता है?

- **तटीय एवं गहन-समुद्री गतिविधियों का एकीकरण:** इस क्रम में तटीय राज्यों को बेहतर तालमेल के क्रम में घरेलू कानूनों को अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के साथ संरेखित करना चाहिये।
- **अनुपालन को प्रोत्साहित करना:** क्षमता निर्माण हेतु ग्लोबल साउथ देशों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिये।
  - धनी देशों को संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित करना चाहिये तथा विकास प्रयासों हेतु धन उपलब्ध कराना चाहिये।
- **प्रवर्तन तंत्र को मज़बूत बनाना:** मज़बूत नगिरानी एवं जवाबदेही ढाँचे की स्थापना करनी चाहिये। **EIA** और लाभ-साझाकरण तंत्र की अंतरराष्ट्रीय नगिरानी के माध्यम से पारदर्शिता को बढ़ावा देना चाहिये।
- **राजनीतिक सहमति बनाना:** भू-राजनीतिक तनावों को हल करना (विशेष रूप से **दक्षिण चीन सागर** जैसे विवादित क्षेत्रों में) चाहिये। इस संधि की सफलता सुनिश्चित करने हेतु बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना चाहिये।

## सामुद्रिक कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNCLOS)

- UNCLOS (जिसि अक्सर **"महासागरों का संवधान"** कहा जाता है) समुद्रों एवं महासागरों के उपयोग के संबंध में राष्ट्रों के अधिकारों एवं कर्तव्यों को परिभाषित करने वाला एक अंतरराष्ट्रीय कानून है जिसमें संप्रभुता, समुद्री मार्ग अधिकार एवं आर्थिक उपयोग शामिल है।

- इसके तहत समुद्री क्षेत्रों को पाँच मुख्य क्षेत्रों में वभाजति कथिा गया है-आंतरकि जल, प्रादेशकि समुद्र, सन्नहिति क्षेत्र, अनन्य आर्थकि क्षेत्र (EEZ) एवं गहन समुद्र ।



Maritime Zones under International Law (Image credit: U.S. Department of State)





?????? ???? ???? ????:

**प्रश्न:** हाई सी ट्रीटी सतत विकास लक्ष्यों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता के साथ किस प्रकार संरक्षित है तथा इसका भारत की ब्लू इकोनमी पर क्या प्रभाव हो सकता है?

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????

**प्रश्न.** दक्षिण चीन सागर के मामले में समुद्री भू-भागीय विवाद और बढ़ता तनाव समस्त क्षेत्र में नौपरविहन और ऊपरी उड़ान की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिये समुद्री सुरक्षा की आवश्यकता की अभिप्रेषण करते हैं। इस संदर्भ में भारत तथा चीन के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा कीजिये। (2014)

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/india-and-the-high-seas-treaty>

दृष्टि  
The Vision